कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

रेल नेटवर्क के जरिये दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में तस्करी के मुख्य सरगना को देवास व एक अन्य आरोपी को लखनऊ से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने किया गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**09/25**, दिनांक **11.02.2026)**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिक्षक, मध्यप्रदेश के निर्देशन में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर रेल गाड़ी संख्या 19322 पटना इंदौर एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी वातानकूलित शयानयान (फस्ट एसी कोच) में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल, रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) एवं वनमण्डल भोपाल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए संत हिरदाराम स्टेशन से 01 आरोपी अजय सिंह राजपूत बल्द राजकुमार के पास से 311 नग दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के जीवित कछुओं को जप्त कर वन अपराध प्रकरण 237/23 दिनांक 03.02.2026 पंजीबद्ध कर वन्यजीव कछुओं को वन्यजीव पुश चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत व माननीय न्यायालय से प्राप्त अनुमति उपरांत प्राकृतिक रहवास में मुक्त किया गया।

दिनांक 08-02-26 प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये संगठित गिरोह के विधि विरोधी बालक को लखनऊ से अभिरक्षा में लिया गया। जिसे माननीय प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेड किशोर न्याय बोर्ड भोपाल में दिनांक 09.02.2026 को प्रस्तुत कर संप्रेक्षण गृह भोपाल भेजा गया। प्रकरण के अन्य फरार आरोपी आसिफ खान निवासी देवास को पकडने हेतु स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा मुखबिर तंत्र विकसित कर लगातार 3 दिन तक घेराबंदी व रैकी की गई परन्तु आरोपी जांच दल को चखमा देकर अपनी लोकेशन लगातार बदलता रहा अंतत: दिनांक 10-02-26 स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश मुख्यालय व इकाई भोपाल के संयुक्त दल द्वारा देवास शहर से गिरोह का मुख्य तस्कर आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायालय एसटीएसएफ में पेश कर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल